(185) N.3 (292)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2012

R. 3640 - I/12

कृष्णा प्रसादवैश्य तनय वालेस्टर वैश्य निवासी ग्राम नौढिया तह० चितरंगी जिला सिंगरौली म०प्र० ------- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० राज्य ---------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश कले० जिला सिंगरौली दिनांक 10-10-12 बावत प्रकरणक्र० 103/ निग०/2011-12

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

संक्षेप में तथ्य

ग्रामनौढिया तहसील चितरंगी की भूमि न०826, 860/2, 803, 831, 830/2 कुलरकवा 2.00हे०पर सैकड़ों वर्षों से आवेदक मालिक है जिसपर आवेदक का पुस्तैनी माकान इदारा: कुआं: वाग वगीचा वपम्प वविजली कने० वाउण्ड्रीआदि निर्मित होने से आवेदक के हक मे जरिये प्रकरण क्र० 17/81, 74/88-89 आदेश दिनांक 20-12-1989 को आवेदक को भूमिस्वामी दर्जकिये जाने बावत आदेश सहायक वन्दोवस्त अधिकारी दल क्रमांक 4 चितरंगी द्वारा की गयी और आदेश के वाद अभिलेखों मे इत्तलायावी न होने केकारण पुन: नायब तहसीलदार चितरंगी द्वारा इत्तलायावी आदेश 05.01.03 पारित किया गयाजिसकेखिलाफ कलेक्टर सिंगरौली द्वारा स्वयमेव पुनरीक्षण

XXXIX(a)-BR(H)-11

185

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–3640–I/2012** जिला–सिंगरौली

कृष्ण प्रसाद वैश्य/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 103/निग0/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	